कार्य निष्पादन एवं विगत पाँच वर्षों की उपलब्धियाँ

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 (म.प्र.)

:EPBX: 2466191, FAX: 0755-2463742 E-mail: it_mppcb@rediffmail.com Web: www.mppcb.nic.in

स्वागतम्

बोर्ड की स्थापना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 1974 को किया गया । बोर्ड द्वारा जल तथा वायु अधिनियम की धारा 17 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लागू नियम एवं अधिसूचनाओं में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किया जाता है ।

2

बोर्ड द्वारा लागू किये जा रहे अधिनियम

केन्द्रीय अधिनियम

- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

मध्य प्रदेश शासन के अधिनियम

- मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ठ (नियंत्रण) अधिनियम 2004
- मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ठ (नियंत्रण) नियम 2006

अन्य अधिनियम

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत् जारी नियम एवं अधिसूचनाएँ

- परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम,1989
- अनुवांशिकीय परिसंकटमय जीवों के विनिर्माण, उपयोग आयात, निर्यात एवं भंडारण नियम 1989
- जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
- फ्लाई ऐश अधिसूचना 1999
- नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000
- बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
- ईआईए नोटिफिकेशन दिनांक 14 सितम्बर 2006
- परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार प्रचलन) नियम, 2008
- प्लास्टिक अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम,2011
- ई-वेस्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2011

4

बोर्ड के महत्वपूर्ण दायित्व

जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के तहत्

- प्रदूषण नियंत्रण के लिये समग्र रूप से योजना/कार्यक्रम तैयार करना ।
- प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार को सलाह देना ।
- प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जानकारी एकत्र कर उसको प्रदर्शित करना ।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय करना ।
- अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निरीक्षण करना ।
- राज्य की स्थिति के अनुरूप मानक निर्धारित अथवा संशोधित करना ।
- निस्त्राव को कृषि के लिये उपयोग करने बावत् तकनीक विकसित करना ।
- भूमि पर निस्त्राव का उपयोग व उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु दक्ष प्रक्रिया विकसित करना ।

5

मॉनिटरिंग लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियाँ

विगत पॉच वर्षो में मॉनिटरिंग लक्ष्य की पूर्ति

- एन.ए.एम.पी. योजना के तहत् 14 शहरों के आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में 36 स्टेशन पर वर्ष में 104 बार परिवेशीय वायु मापन का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- परिवेशीय वायु मापन के 14449 एवं औद्योगिक स्त्रोतों के 4138 नमूनों का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- वाहन मापन के 76817 नमूनों की जॉच का लक्ष्य पूर्ण किया।
- औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय एवं शांत क्षेत्रों में 27895 नमूना जॉच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- एन.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के तहत् 5375 नमूना जॉच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- जी.ई.एम.एस. योजना के तहत् 05 स्थानों पर नियमित मॉनिटरिंग पूर्ण किया ।
- प्राकृतिक जल के 20245 जल नमूनों की जॉच का लक्ष्य पूर्ण किया ।
- औद्योगिक निस्त्राव के 22670 जल नमूनों की जॉच का लक्ष्य पूर्ण किया।

6

मॉनिटरिंग लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धियाँ

वर्ष → / योजना ↓	2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)	10 शहर 25स्थान	10 शहर 25 स्थान	10 शहर 25स्थान	10 शहर 25 स्थान	10 शहर 25 स्थान	10 शहर 25 स्थान	10 शहर 25 स्थान	10 शहर 24 स्थान	14 शहर 39 स्थान	14 शहर 36स्थान*
विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)	05स्थान 44 नमूने	05 स्थान 38नमूने *	05स्थान 44 नमूने	05 स्थान 37 नमूने*	05स्थान 50 नमूने	05 स्थान 48 नमूने*	05स्थान 50 नमूने	05 स्थान 48 नमूने *	05स्थान 60 नमूने	05 स्थान 53 नमूने*
एन.डब्ल्यू.एम.पी.(मीनार्स)	750	752	750	696	1490	1059	1490	1204	1490	1564
प्राकृतिक जल स्त्रोत नमूने	2197	3516	2474	3838	2810	3515	2939	4652	3313	4694
औद्योगिक निस्त्राव नमूने	2968	3645	5056	5542	4020	4678	3635	4141	4036	4664
औद्योगिक क्षेत्र परिवेशीय वायु नमूने	2768	2460*	4234	2650*	3678	2446*	3601	3257*	3740	2373*
विभिन्नों से लिये नमूने	722	760	843	796*	841	853	814	997	962	720*
शहरीय परिवेशीय वायु नमूने	197	273	344	242*	280	220*	229	391	293	129*
वाहन उत्सर्जन	13080	14432	13980	14609	14880	16526	14880	16240	14780	15007
ध्वनि स्तर मापन	4320	4609	4896	6046	5184	5750	5184	6019	5472	5102

* उद्योग बन्द होने/जल नमूना उपलब्ध नहीं होने/वर्षा के कारण मॉनिटरिंग नहीं होने से लक्ष्य पूर्ति में कमी रही ।

7

प्राकृतिक जल नमूनों की जाँच

नदी, तालाब/झील/बांध , नाले व भूगत जल मॉनिटरिंग

वर्ष	नदी	तालाब/झील/बांध	नाले	भूगत जल	कुल नमूने
2011-12	66	75	69	203	3838
2012-13	66	76	73	201	3515
2013-14	66	70	78	222	3475
2014-15	74	91	92	254	3560

8

प्रदेश की नदियों की गुणवत्ता (भारतीय मानक 2296)

प्रमुख नदियाँ	कुल लम्बाई (लगभग)	जल गुणवत्ता	प्रभावित क्षेत्र	निस्त्राव
नर्मदा	कुल 1312 कि.मी. जिसमें से 1079 कि.मी. म.प्र. में	ए एवं बी	डिंडोरी और ओंमकारेश्वर (बी)	घरेलू निस्त्राव
चम्बल	960 कि.मी.	ए से ई	नागदा (ई)	औद्योगिक (ग्रेसिम) एवं घरेलू निस्त्राव
सोन	784 कि.मी.	ए से डी.	भतूराघाट, अमलाई तथा दशरतघाट, शहडोल (डी)	ओ.पी.एम. उद्योग का निस्त्राव
बेतवा	कुल 590 कि.मी. जिसमें से 232 मध्यप्रदेश मे तथा 358 उत्तर प्रदेश मे	ए से ई	नयापुरा मंडीदीप, सतलापुर औद्योगिक क्षेत्र, चरण तीर्थ, विदिशा (ई)	औद्योगिक एवं घरेलू निस्त्राव
क्षिप्रा	195 कि.मी.	बी से ई	उज्जैन और देवास (डी, ई)	घरेलू निस्त्राव
खान	16.16 कि.मी.	डी एवं ई	इंदौर, एवं उज्जैन (ई)	घरेलू निस्त्राव
ताप्ती	724 कि.मी.	ए. एवं बी.	हथनूर एवं पीपलघाट, बुरहानपुर (बी)	नेपा नगर व बुरहानपुर निस्त्राव
टोन्स	311 कि.मी.	बी. एवं सी.	चकघाट, रीवा (सी)	घरेलू निस्त्राव

वाहन प्रदूषण मापन की स्थिति

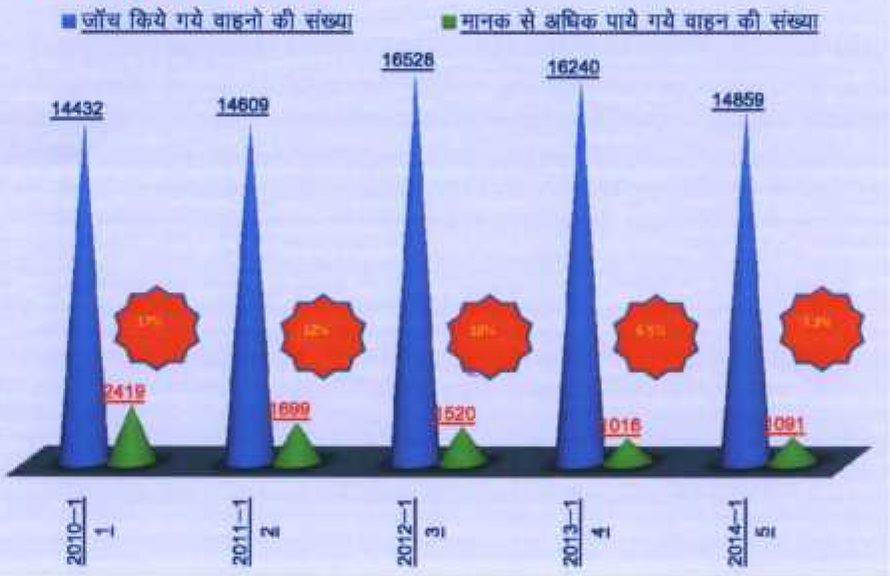

10

ध्वनि प्रदूषण मापन की स्थिति

■ कुल की गयी ध्वनि स्तर मापन की संख्या
■ मानक से अधिक पाये गये ध्वनि मापन स्तर की संख्या

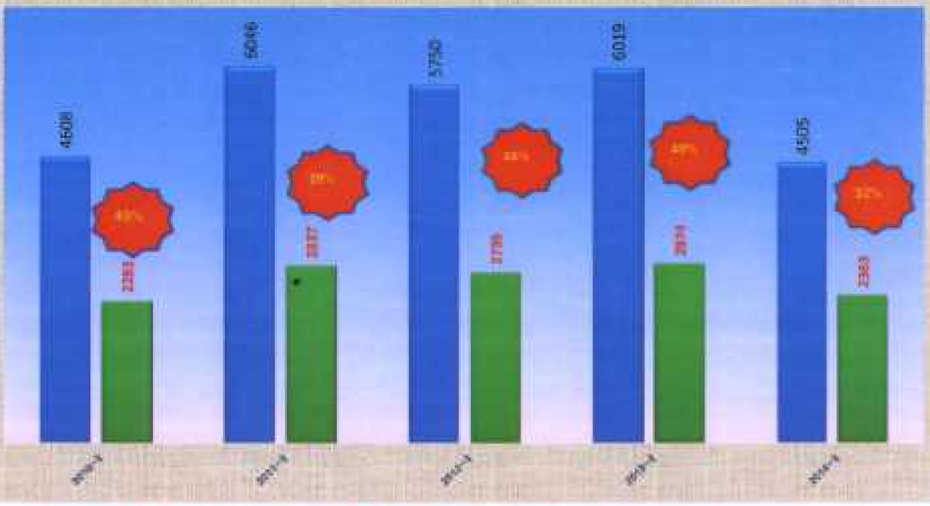

11

प्रदेश के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति

उद्योगों की श्रेणी	उद्योग जहाँ प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की आवश्यकता है	उद्योग जिनमें आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था है	उद्योग जिनमें आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं है	उद्योग जिनमें प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन किया जा रहा है
आर –17	127	127	–	15
आर –54	5542	5296	186	45
नारंगी	2557	2398	219	16
हरा	2011	1944	67	15

12

विशेष उपलब्धियॉं

देश में प्रथम बोर्ड

- वर्ष 2012 में क्षेत्रीय प्रयोगशाला जबलपुर द्वारा एनएबीएल मान्यता प्राप्त की गई उसके बाद भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं ग्वालियर प्रयोगशाला द्वारा भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त की गई ।
- अधिनियमों में निर्धारित अधिकतम समय–सीमा 120 दिवस के परिप्रेक्ष्य में केवल 45 दिवस में सम्मति आवेदनों का निराकरण ।
- सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत 567 प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिये ऑन लाईन सम्मति की व्यवस्था ।
- सम्मति प्रबंधन सेवाओं को **लोक सेवा गारंटी अधिनियम** में शामिल करना ।
- ई–वेस्ट प्रबंधन के तहत् सूचीकरण/चिन्हीकरण ।
- प्लास्टिक अपशिष्ट को सीमेंट क्लिन में सहदहन (को–प्रोसेसिंग) की प्रकिया प्रारंभ कर अगस्त 2015 तक 12318.77 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का निष्पादन ।

13

विशेष उपलब्धियॉं

- उद्योगों से उत्सर्जित व्यर्थ ऊष्मा के उपयोग से बिरला कार्पोरेशन सतना एवं त्रिमूला इण्डस्ट्रीज सिंगरौली में व्यर्थ ऊष्मा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु प्रोत्साहन ।
- परिसंकटमय अपशिष्ट को सीमेंट क्लिन में सहदहन हेतु प्रोत्साहन ।
- ऑन लाईन सम्मति प्रबंधन प्रकिया प्रारंभ करने में गुजरात के बाद देश का दूसरा अग्रणी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

14

विशेष उपलब्धियाँ

- सम्मति प्रकरणों का पारदर्शी निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीकरण प्रकिया लागू करने वाला देश का एकमात्र बोर्ड ।
- तात्कालिक एवं सर्वसम्मति से निर्णय लेने हेतु एक प्रभावशाली प्रकिया ।
- प्रकिया को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा सराहा गया है:–
  - ★ सीएजी
  - ★ भारत सरकार का योजना आयोग
  - ★ भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  - ★ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
  - ★ उद्योग एवं अन्य स्टेक होल्डर्स

15

आपात अनुकिया केन्द्र

- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 में प्राकृतिक / रासायनिक दुर्घटनाओं के निवारण एवं उनसे निपटने के लिये विशेष तैयारी हेतु भोपाल सहित देश में चार स्थानों पर **आपात अनुकिया केन्द्रों** की स्थापना की गई ।
- भोपाल केन्द्र द्वारा रसायन सुरक्षा के संबंध में प्रदेश के औद्योगिक स्थानों देवास, छिंदवाड़ा, धार, इन्दौर, विजयपुर, बीना, पीथमपुर, मण्डीदीप, नागदा, सतना, मालनपुर आदि में केपेसिटी बिल्डिंग के कार्यकम आयोजित किये गये ।
- केन्द्र स्थापना के समय सदस्य उद्योगों की संख्या 86 से बढ़कर 341 हो गई है।
- केन्द्र के माध्यम से 1100 से अधिक औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञ प्रशिक्षित हुये हैं ।
- गुजरात में भूकम्प, उड़ीसा में चकवात, अरब सागर में ऑयल स्पेलेज आदि के समय प्रशासकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देकर सहयोग प्रदान किया गया ।

16

व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डुईंग विजनेस)

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

- बोर्ड में ऑन लाईन बेव आधारित आवेदन प्रस्तुतीकरण की सुविधा एवं भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त ।
- ऑन लाईन सम्मति आवेदन ट्रेकिंग सिस्टम की सुविधा उद्योगों को उपलब्ध ।
- स्वप्रमाणित दस्तावेजों की स्वीकारिता ।
- एसएमएस एलर्ट के साथ ऑन लाईन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा ।
- इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा ।
- ऑन लाईन जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 24X7 सुविधा प्रारंभ ।

17

व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डुईंग विजनेस)

- उद्योगों को 5/10/15 वर्ष की अवधि हेतु सम्मति नवीनीकरण की सुविधा ।
- औचक निरीक्षण/रेंडम मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू ।
- सभी अधिनियमों के अन्तर्गत एकल निरीक्षण/मॉनिटरिंग ।
- डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सम्मति/नवीनीकरण/प्राधिकार डाऊनलोड की सुविधा

18

अधोसंरचना विकास

- कार्यालयों का क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नयन :
  - शहडोल
  - सिंगरौली
  - कटनी
  - छिंदवाड़ा
- क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण :
  - सतना
  - सिंगरौली
  - शहडोल
- नवीन भवन का निर्माण :
  - मुख्यालय भवन विस्तार
  - क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

19

अधोसंरचना विकास

- पर्यावरण परिसर में पर्यावरण सतर्कता केन्द्र की स्थापना ।
- क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु रीवा तथा कटनी में भूमि का आवंटन ।
- क्षेत्रीय प्रयोगशाला/मॉनिटरिंग केन्द्र मण्डीदीप की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन ।
- क्षेत्रीय कार्यालय भवन छिंदवाड़ा हेतु भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में ।

20

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

- वर्ष 2010 से सघन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रारंभ ।
- वर्ष 2011 में नर्मदा प्रदूषण शमन समिति की स्थापना ।
- नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु भूमि चिन्हित करने बावत् डिजिटल मैप बनाया ।
- नदी के 21 बिन्दुओं पर नियमित रूप से मासिक मॉनिटरिंग प्रारंभ कर बिन्दुओं की संख्या 31 तक बढ़ाई ।
- नदी में मिलने वाले सीवेज,नालों का इंटरसेप्शन एवं डाईवर्सन ।
- अमरकंटक एवं जबलपुर में नगरीय निकाय के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना
- उद्योगों में निस्त्राव उपचार हेतु स्थापित ई.टी.पी. का उन्नयन कराकर शून्य निस्त्राव की स्थिति लागू कराना ।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम (अमरकंटक, डिण्डौरी, जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, महेश्वर व धरमपुरी)।

21

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

(राज्य स्तर पर अर्न्तविभागीय प्रयास)

- अन्तर्विभागीय नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन ।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु शार्ट टर्म एवं लॉग टर्म योजना बनाने हेतु फालोअप मीटिंग
- सीवेज तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारियों हेतु परिचर्चा/सेमिनार का आयोजन ।
- नदी व तालाबों के किनारे मूर्ति विसर्जन कुण्डों का निर्माण स्थानीय निकायों के माध्यम से ।
- प्रदूषण हेतु दोषी नगरीय निकायों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही ।

22

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

(सीएसआर के अन्तर्गत प्रयास)

- उद्गम स्थल अमरकंटक में फाउन्टेन, फिल्टर प्लांट की स्थापना एवं बगीचे का विकास ।
- खंदारी नाला जबलपुर में इन–सिटू बॉयो रीमेडियेशन/डिमोस्ट्रेशन प्लांट की स्थापना ।
- भेड़ाघाट में सीवेज नालें का इंटरसेप्शन एवं डाईवर्सन ।
- ओमकारेश्वर व धरमपुरी में बॉयो रीमेडियेशन/डिमोस्ट्रेशन प्लांट स्थापना हेतु ट्राई पार्टी अनुबंध, मण्डला, डिण्डौरी, बरमान, महेश्वर और मण्डलेश्वर में प्रस्ताव पाईप लाईन में हैं ।
- नदी के किनारों पर 38 उद्योगों से 32 लाख वृक्षारोपण हेतु सहमति ।

23

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

जन–जागृति हेतु अभियान

- नर्मदा नदी के आस–पास के शहरों में क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के पश्चात् रैली व जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन ।
- होर्डिंग, कॉसन बोर्ड, डिस्प्ले, बैनर स्थापना तथा पम्पलेट्स का वितरण ।
- वर्कशॉप, इन्ट्रेक्शन मीटिंग, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक आदि ।
- मूर्ति बनाने वालों व स्थापना करने वालों के लिये प्रशिक्षण ।
- प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पब्लिक अपील ।
- विद्यार्थियों के लिये निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिताऐं ।
- संस्कारों को पर्यावरण प्रिय बनाने व कम प्रदूषणकारी विधि अपनाने हेतु धार्मिक मंचों, पुजारियों आदि के साथ परिचर्चाऐं ।
- महत्वपूर्ण घाटों पर प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वॉल राईटिंग ।

24

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण

मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का स्तर

S. No	Sampling Locations	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	April-May 2015**
1	Origin point, Amarkantak	A	A	A	A	A	A
2	Kapildhara, Amarkantak	-	-	A	A	B	A
3	Dindori U/S city waste confluence, Shahdol.	B	B	-	A	A	A
4	Dindori D/S city waste confluence, Shahdol.	C	B	B	B	B	A
5	Mandla Near Tankighat WS intake well	Newly Proposed					
6	Mandla, Near Shamshan ghat.	A	B	A	B	B	A
7	Mandla, Near road bridge.	-	-	B	B	B	A
8	Jamtara, Near Railway Bridge, Jabalpur	A	A	A	B	A	A
9	Lalpur, Near WS intake well, Jabalpur	B	B	A	B	A	A
10	Tilwara ghat, Jabalpur	A	B	B	B	B	A
11	Panchwati ghat near Bheda ghat, Jabalpur	A	B	A	B	B	A
12	Sarswati ghat after meeting R.Bawanganga	A	B	B	B	B	A
13	Jhansi ghat near Gotegaon road bridge.	Newly Proposed					
14	Barman ghat, 100 mtr. D/S.of Main ghat.	A	B	B	B	B	A
15	Sandhiya Ghat, near Pipria intake well.	Newly Proposed					A
16	Near Shahganj Rest House	B	B	B	B	A	A
17	Bandrabhan ghat Opp MelaSite,Hoshangabad	Newly Proposed					A
18	Hoshangabad, Near Kori ghat	B	B	A	B	A	A
19	Hoshangabad, Near Sethani ghat	B	B	B	B	B	A
20	Hoshangabad, SPM nalla confluence.	C	B	B	B	B	A
21	Nemavar.	A	A	A	B	B	A
22	Punasa dam.	B	B	B	B	B	A
23	Omkareshwar D/S.	B	B	B	B	B	A
24	Barwaha near Mortakka Bridge.	B	B	B	B	B	A
25	Mandleshwar U/S.	B	B	B	B	B	A
	Mandleshwar near intake well.	Newly Proposed					A
	Mandleshwar D/S.	Newly Proposed					A
26	Maheswar D/S	B	B	B	B	B	A
27	Khal ghat, (AB Road)	Proposed				B	A
28	Dharampuri.	Proposed				B	A
29	Rajghat, Badwani.	B	B	B	B	B	A
30	Koteshwar near Nisarpur, Dhar.	Newly Proposed					A
31	At Kakrana, inter state boundry, Alirajpur	Proposed				A	A

नर्मदा जयंती में एक टन कचरा निकालकर किया डिस्पोजल

साफ-सफाई कर लोगों को दिया संदेश

शहडोल/अमरकंटक

patrika.com

नर्मदा जयंती के अवसर पर मॉनिटरिंग जन जागृति एवं कार्यक्रमों के लिए म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति अनुसार 26 जनवरी को सम्पूर्ण नदी की लंबाई में एक साथ सभी तटों पर प्रदूषण मापन संबंधी कार्यवाही के लिए रैली निकालकर सफाई कराई गई।

कार्यक्रम का आयोजन म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल द्वारा आयोजित किया गया है। वैज्ञानिक डॉ एसबी तिवारी ने बताया कि अमरकंटक एवं डिंडौरी में स्थित माँ नर्मदा नदी के तटों पर प्रदूषण समन के लिए 25 जनवरी से 27 जनवरी तक 36 एवं 18 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया और नमूने लेते समय पर्यावरणीय स्थितियों का भौतिक आकलन कर रिपोर्ट बनाई गई।

नर्मदा नदी में कचरा सफाई करते लोग।

गठित उप समितियों में आलोक कुमार जैन क्षेत्रीय अधिकारी डॉ आरएसकाशिहार क्षेत्रीय अधिकारी सतना डॉ एसपी कटीलिया, डॉ एसबी तिवारी, बीएसमरावेल, गणेश बैग सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के घाटों की साफ सफाई का कार्य स्वयं सेवी संस्था प्रणाम नर्मदा के साथ आयोजित कर लगभग 1 टन कचरा निकाल कर डिस्पोजल किया।

(पत्रिका रिपोर्ट) 27

पत्रकार वार्ता | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष ने रैली को हरी झंडी देकर किया रवाना

नर्मदा में नहीं मिलेगा गंदा पानी, बनेंगे ग्रीनब्रिज

भास्कर संवाददाता | सीहोर

गंगा-यमुना नदी में जितना प्रदूषण है, उससे नर्मदा नदी का पानी 90 प्रतिशत शुद्धता लिए है। यह अच्छी बात है। नर्मदा नदी की शुद्धता को सहेजना होगा। यह बात मप्र प्रदूषण बोर्ड अध्यक्ष नर्मदाप्रसाद शुक्ला ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में कही। नर्मदा की शुद्धता के लिए उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर अनेक स्थानों पर परीक्षण किया है। रिपोर्ट के आधार पर आए परिणाम जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेंगे।

उन्होंने बताया नर्मदा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर ग्रीन ब्रिज बनाए जाएंगे। यह ब्रिज शहर के गंदे पानी को सीधे नर्मदा में मिलने से रोकेंगे। शहर का गंदा पानी ट्रीटमेंट होकर ही नर्मदा में जाएगा, इससे प्रदूषण रोका जा सकेगा। जबलपुर में ग्रीन ब्रिज बनाए हैं। आगे सुधार के लिए अध्ययन जारी है। बोर्ड अध्यक्ष शुक्ला ने ग्रीन ब्रिज के बारे में कहा, ये परंपरागत ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। इसमें बिजली व अन्य मशीनरी का उपयोग नहीं होता। यह गंगा व यमुना के किनारे लगे ट्रीटमेंट प्लांटों की अपेक्षा कम खर्च वाले होते हैं। यह बायोलॉजिकल व फिजिकल ट्रीटमेंट प्लांट हैं। कम खर्च आने से नर्मदा किनारे की नगर पालिकाएं व नगर परिषद ब्रिज स्थापित कर सकती हैं।

प्रदूषण रोकने के लिए बच्चों ने संकल्प लिया।

बच्चों ने जन-जागरण रैली से दिया संदेश

शनिवार कुछ बच्चे मता चौक से जन-जागरण रैली निकाली गई। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष श्री शुक्ला ने अमरकंटक से नर्मदा में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की मांग की। श्री शुक्ला ने बताया जागरूकता से ही विकास रहे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। रैली में नगर पालिका अध्यक्ष दमोदरलाल साहू, सीएमओ किशोर कुमार, सीईओ दमोदर सागर, आलोक जोशी, हरीश दुबे, विकास पटेल, मनोज पाटीदार, जिला कैप्टन उपस्थित थे।

28

मध्यप्रदेश

दैनिक भास्कर, ग्वालियर, गुरुवार, 4 जून, 2015

नर्मदा का जल फिर ए ग्रेड में, प्रदूषण बोर्ड ने जारी की रैंक

आधा दर्जन स्थानों से लिए गए थे पानी के सैंपल

भास्कर न्यूज | होशंगाबाद

जनवरी के बाद नर्मदा जल में प्रदूषण कम पाया जा रहा है। नर्मदा जल जनवरी में ए ग्रेड में आया था। इसके पहल सी ग्रेड में नर्मदा जल था। यानी नर्मदा में प्रदूषण मिलने की मात्रा कम हो रही है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार भी सेठानीघाट, कोरीघाट, एसपीएम नाले के पास से, शाहगंज, सांडिया सहित अन्य जगहों से सैंपल लिए थे। इसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में नर्मदा जल ए ग्रेड में पाया गया है। नर्मदा में मिल रहे नालों के बाद भी इस बार भी ए ग्रेड में पाया गया है। यानी प्रदूषण कम हो रहा है। एसपीएम के पास इसलिए ए ग्रेड आया है कि यहां 6 माह पहले रिसाइकिलिंग प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट के कारण यहां रसायनयुक्त पानी नर्मदा में नहीं जा रहा है। इस तरह नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए हाल ही नपा द्वारा वाहनों के धोने पर रोक, साबुन का उपयोग कम करने, गंदे कपड़े नहीं डालने आदि के काम किए हैं।

सर्वे | होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मंडलेश्वर 'ए' श्रेणी में आए

नर्मदा में कम हुआ प्रदूषण अब पी भी सकेंगे पानी

यह होगा फायदा

पहले से स्थिति सुधरी

मध्यप्रदेश

नर्मदा में प्रदूषण कम हुआ, बेफिक्र हो कीजिए आचमन

योगीराज शर्मा सहित छह पर चलेगा केस

OUR WORLD
OUR ENVIRONMENT

A Pollution Free Narmada for MP

'Environment has enough to suffice the needs of humans but not greed'. Increase in the air, water and noise pollution has become a matter of global concern. On the occasion of World Environment Day, HT highlights the challenges faced by the regulatory bodies in implementing the policies.

Dr. NP Shukla

Challenges: "MPPCB is just a regulatory body. While implementing these policies, we need co-operation from the other departments as well.

If they do not aid, we cannot complete out job," Dr. NP Shukla, Chairman MPPCB says. "We have stopped the manufacturing of plastic bags in Madhya Pradesh. The bags that have been used are imported from outside. Its sale, purchase and disposal are the responsibilities of the district administration".

Vehicular Pollution: When asked about how the board works in controlling vehicular pollution he explains, "Our role is to monitor the pollution. It is the RTO to look after the execution for controlling vehicular pollution.

Solid Waste : Explaining on how the government body has taken measures in controlling the pollution he says, "Around 70 percent of the water pollution is due to solid waste. Interestingly, in our state, the water bodies are not polluted by industrial waste, but solid waste. **Pollution Free Narmada:** "We have extensively worked on making Narmada pollution free. We have commenced with certain drives which include plantation across the Narmada Ghats, creating awareness among the people living in the villages on the banks of Narmada. The results we received are very interesting. The Narmada water has not listed in the A category."

वित्तीय प्रोफाइल एवं बोर्ड का परफारमेंस

वित्तीय उपलब्धियां

- बोर्ड की आय में लगातार वृद्धि ।
- पूर्व में बोर्ड के केवल 2 या 3 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यय की तुलना में आय अधिक थी, किन्तु वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय गुना एवं रीवा को छोड़कर सभी कार्यालयों में आय व्यय की तुलना में अधिक है ।

34